न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 816 / 2024
अनवान : –

1. सुभाष पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. सिलोचना पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. चेतराम पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
2. पेरोकार राज

दिनांकः 18/06/2025

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 8 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 100 / 89 की कुल 2.9470 हैक्ट भूमि वादीगण संख्या 1 ता 2 के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज है तथा रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता स0 171 / 55 की कुल 0.8480 हैक्ट भूमि वादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी संख्या 1 ता 2 की रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता स0 100 / 89 के प0न0 354 / 389(66) के किला न0 14 / 1 की 0.0250 हैक्ट, 15 / 1 की 0.0250 हैक्ट, 18 / 1 की 0.0260 हैक्ट, 23 / 2 की 0.0250 हैक्ट गैमु0 खाला दर्ज है तथा वादी संख्या 3 की रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता स0 171 / 55 के प0न0 354 / 389(66) के किला न0 22 / 1 की 0.0260 हैक्ट व 23 / 1 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला दर्ज है। रिवाईज्ड स्वीकृत चक प्लान में उक्त खाला की बजाय सीएडी विभाग द्वारा अन्यत्र खाला स्वीकृत कर निर्माण करवा दिया गया है अब मौका पर रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता स0 100 / 89 के प0न0 354 / 389(66) के किला न0 14 / 1, 15 / 1, 18 / 1, 23 / 2 तथा रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता स0 171 / 55 के प0न0 354 / 389(66) के किला न0 22 / 1 व 23 / 1 में कोई खाला नही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त समस्त किलों की भूमि में गै0मु0 खाला दर्ज है जिससे वादीगण के खातेदारी हकूक का हनन हो रहा है इसलिए वादीगण गै0मु0 खाला की भूमि का मुमकिन दर्ज करवाकर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। [illegible] दावा है।

वाद पेश होने पर [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 अधिशाषी अभियंता जल संसाधन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:01:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खण्ड नोहर से रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा प्रतिवादी स0 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किये गये।

अधिवक्ता वादीगण द्वारा वाद के समर्थना में नकल जमाबंदी रोही मौजा 8 जेएसएन खाता स0 171/55 व खाता स0 100/89 आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल किये गये। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी संख्या 1 ता 2 की रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता स0 100/89 के प0न0 354/389(66) के किला न0 14/1 की 0.0250 हैक्ट, 15/1 की 0.0250 हैक्ट, 18/1 की 0.0260 हैक्ट, 23/2 की 0.0250 हैक्ट गैमु0 खाला दर्ज है तथा वादी संख्या 3 की रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता स0 171/55 के प0न0 354/389(66) के किला न0 22/1 की 0.0260 हैक्ट व 23/1 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला दर्ज है क्योंकि पूर्व मे यहां से कच्चा खाला चलता था और उससे ही पानी की सिंचाई होती थी लेकिन वर्तमान मं सिंचाई विभाग द्वारा नक्शे में परितर्वतन कर नई सिंचाई योजना के तहत अन्य स्थान पर खाले का निर्माण कर दिया गया है अब मौका पर रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता स0 100/89 के प0न0 354/389(66) के किला न0 14/1, 15/1, 18/1, 23/2 तथा रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता स0 171/55 के प0न0 354/389(66) के किला न0 22/1 व 23/1 में कोई खाला नही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त समस्त किलों की भूमि में गै0मु0 खाला दर्ज है जिससे वादीगण के खातेदारी हकूक का हनन हो रहा है इसलिए वादीगण गै0मु0 खाला की भूमि का मुमकिन दर्ज करवाकर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं राज्य हकों को ध्यान मे रखते हुए वाद का निस्तारण किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा नवीनतम जमाबंदी, रिपोर्ट अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर, मौका रिपोर्ट तहसीलदार आदि का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता स0 100/89 के प0न0 354/389(66) के किला न0 14/1 की 0.0250 हैक्ट, 15/1 की 0.0250 हैक्ट, 18/1 की 0.0260 हैक्ट, 23/2 की 0.0250 हैक्ट गैमु0 खाला दर्ज है तथा वादी संख्या 3 की रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता स0 171/55 के प0न0 354/389(66) के किला न0 22/1 की 0.0260 हैक्ट व 23/1 की 0.0260 हैक्ट गै0मु0 खाला दर्ज है लेकिन अब नहर का पक्का निर्माण होने के बाद में सिएडी सिंचाई द्वारा इन किलों में से खाला निरस्त कर दुसरी ज[illegible] पक्के खाले का निर्माण हो चुका है। इसलिए अब रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता स0 100/89 के प0न0 354/389(66) के किला न0 14/1 की 0.0250 हैक्ट, 15/1 की 0.0250 हैक्ट, 18/1 की 0.0260 हैक्ट, 23/2 की 0. 0250 हैक्ट गैमु0 खाला दर्ज है तथा वादी स[illegible] 3 की रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता स0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:01:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

171/55 के प0न0 354/389(66) के किला न0 22/1 की 0.0260 हैक्ट व 23/1 की 0.0260 हैक्ट भूमि को मुमकिन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। जल संसाधन विभाग नोहर से खाला के संबंध में रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता स0 100/89 के प0न0 354/389(66) के किला न0 14/1, 15/1, 18/1, 23/2 तथा रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता स0 171/55 के प0न0 354/389(66) के किला न0 22/1 व 23/1 में कोई खाला नही है एवं स्वीकृत चक प्लान में भी उक्त किला न0 में कोई खाला स्वीकृत नही है तथा तहसीलदार नोहर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत करवाया गया कि वर्तमान रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता स0 100/89 के प0न0 354/389(66) के किला न0 14/1, 15/1, 18/1, 23/2 तथा रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता स0 171/55 के प0न0 354/389(66) के किला न0 22/1 व 23/1 में हैक्ट भूमि मे कोई पक्का खाला नही बना है परन्तु उक्त किलो की वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 खलाा दर्ज है।

गै0मु0 खाला अथवा रास्ता के बदलाव/निरस्तीकरण हेतु राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते 1955 की शर्त संख्या 8(1) व 8(2) में वर्णित प्रावधानों व प्रदत्त शक्तियों तथा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011(1) स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम राजपाल पेज न0 167, आरआरडी 1987 पेज न0 279 एवं आरआरडी 1998 पेज न0 699 के अनुसार जब कभी भी किसी कारणवंश पूर्व में निर्मित रास्ता एवं खाले को निरस्त किया जाता है तो वह रास्ता एवं खाले की भूमि उसी काश्तकार के खाते में प्रत्याहित हो जावेंगी जिसके खाते में यह कम की गई थी।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों के अवलोकन से पाया गया की वादी के पूर्वजों के नाम उक्त वाद भूमि दर्ज थी सीएडी विभाग के द्वारा चक स्कीम के अन्तर्गत खाला प्रस्तावित होने पर वादी की भूमि रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता स0 100/89 के प0न0 354/389(66) के किला न0 14/1 की 0.0250 हैक्ट, 15/1 की 0.0250 हैक्ट, 18/1 की 0.0260 हैक्ट, 23/2 की 0.0250 हैक्ट गैमु0 खाला दर्ज है तथा वादी संख्या 3 की रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता स0 171/55 के प0न0 354/389(66) के किला न0 22/1 की 0.0260 हैक्ट व 23/1 की 0.0260 हैक्ट भूमि को गै0मु0 खाला की भूमि में दर्ज किया गया था। वर्तमान में जल संसाधन विभाग की रिपोट के अनुसार उक्त किलों में खाला स्वीकृत नही किया गया है तथा तहसीलदार नोहर के रिपोर्ट के अनुसार उक्त किलों में खाले का निर्माण नही है अब सिंचाई विभाग द्वारा खाला निरस्त किया जा चुका है इसलिए वादीगण की भूमि में से गै0मु0 खाला के लिए कम की गई भूमि को पुनः वादीगण अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

तहसीलदार नोहर एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर द्वारा भी रिपोर्ट प्रेषित कि गई की उक्त किलों में वर्तमान में कोई खाला नही है एवं नई चक स्कीम के अन्तर्गत भी उक्त किलों में खाला स्वीकृत नही किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जल संसाधन विभाग नोहर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार (राजस्व) नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:01:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर एवं तहसीदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादी संख्या 1 व 2 की रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता स0 100/89 के प0न0 354/389(66) के किला न0 14/1 की 0.0250 हैक्ट, 15/1 की 0.0250 हैक्ट, 18/1 की 0.0260 हैक्ट, 23/2 की 0.0250 हैक्ट गैमु0 खाला दर्ज है तथा वादी संख्या 3 की रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता स0 171/55 के प0न0 354/389(66) के किला न0 22/1 की 0.0260 हैक्ट व 23/1 की 0.0260 हैक्ट भूमि गै0मु0 खाला की भूमि को निरस्त किया जाकर वादी के नाम मुमकिन/खातेदारी घोषित किया जाकर वादी संख्या 1 ता 2 की रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता स0 100/89 के प0न0 354/389(66) के किला न0 14/1 की 0.0250 हैक्ट भूमि को 14/2 में शामिल कर 15/1 की 0.0250 हैक्ट भूमि को 15/3 मे शामिल कर 18/1 की 0.0260 हैक्ट भूमि को 18/2 में शामिल कर 23/2 की 0.0250 हैक्ट भूमि 23/4 मे शामिल कर तथा वादी संख्या 3 की रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता स0 171/55 के प0न0 354/389 (66) के किला न0 22/1 की 0.0260 हैक्ट भूमि को 22/2 में शामिल कर 23/1 की 0.0260 हैक्ट भूमि को 23/3 में शामिल कर उक्तानुसार वादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम मुमकिन/खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरस्त किया जावें। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/06/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:01:58 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 816 / 2024
अनवान : –

1. सुभाष पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. सिलोचना पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. चेतराम पुत्र राजपाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 816 सन 2024 निर्णय दिनांक 18/06/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर एवं तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादी संख्या 1 व 2 की रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता स0 100 / 89 के प0न0 354 / 389(66) के किला न0 14 / 1 की 0.0250 हैक्ट, 15 / 1 की 0.0250 हैक्ट, 18 / 1 की 0.0260 हैक्ट, 23 / 2 की 0.0250 हैक्ट गैमु0 खाला दर्ज है तथा वादी संख्या 3 की रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता स0 171 / 55 के प0न0 354 / 389(66) के किला न0 22 / 1 की 0.0260 हैक्ट व 23 / 1 की 0.0260 हैक्ट भूमि गै0मु0 खाला की भूमि को निरस्त किया जाकर वादी के नाम मुमकिन / खातेदारी घोषित किया जाकर वादी संख्या 1 ता 2 की रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता स0 100 / 89 के प0न0 354 / 389(66) के किला न0 14 / 1 की 0.0250 हैक्ट भूमि को 14 / 2 में शामिल कर 15 / 1 की 0.0250 हैक्ट भूमि को 15 / 3 मे शामिल कर 18 / 1 की 0.0260 हैक्ट भूमि को 18 / 2 में शामिल कर 23 / 2 की 0.0250 हैक्ट भूमि 23 / 4 मे शामिल कर तथा वादी संख्या 3 की रोही मौजा 8 जेएसएन के खाता स0 171 / 55 के प0न0 354 / 389 (66) के किला न0 22 / 1 की 0.0260 हैक्ट भूमि को 22 / 2 में शामिल कर 23 / 1 की 0.0260 हैक्ट भूमि को 23 / 3 में शामिल कर उक्तानुसार वादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम मुमकिन / खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरस्त किया जावें। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना [illegible] करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:01:58 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर